न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीणा
आर० ए० एस०

वाद संख्या :- 56/2011

[illegible]

1. बाबूलाल पुत्र रामकंवार / [illegible] जाति जाट
2. मामराज पुत्र कन्हैयालाल / निवासी ग्राम आकड़ तहसील विराटनगर (जयपुर)

...वादीगण

बनाम

1. महादेव पुत्र नाथू जाति जाट निवासी निठारा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
2. सब रजिस्ट्रार शाहपुरा, तहसील शाहपुरा (जयपुर)

...प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

(प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आर्डर-23 रूल-1)
सहपठित धारा-151 सी०पी०सी०

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक :- 03-01-2020

निर्णय

1. उपर्युक्त [illegible] वादपत्र बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 22/4/1997 को न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 494/0.34, 495/0.23, 503/0.42, 528/0.33, 531/0.31, 1245/0.20, 1246/0.41, 542/0.17, 543/0.11 कुल किता 9 रकबा 2.60 हे० वाके मौजा निठारा तहसील शाहपुरा की पूर्व रिकॉर्ड खातेदार श्रीमती [illegible] से बेचा काना जाट निवासी निठारा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29/11/1989 को प्राप्त प्रतिफल अदा कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, तभी से वादीगण बिना किसी बाधा के शुचारू रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त हैं।

2. प्रतिवादीगण एवं किसी तीसरे व्यक्ति का उक्त आराजीयात से कोई

(2)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या-1 ने गुप्त रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 494, 495, 503, 528, 531, 1245 व 1246 के सम्पूर्ण रकबे व खसरा नम्बर 542 व 543 के 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित करवा लिया। प्रतिवादी एक झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह राजस्व रिकार्ड के गलत इन्द्राजात के आधार पर वादीगण को बेदखल करने व अन्य तीसरे व्यक्तियों को अन्तरण करने करने की धमकी देता है। वादीगण ने प्रतिवादी को रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने के लिए कहा तो साफ इन्कार हो गया। इसलिए यह वाद-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः दावा स्वीकार कर डिक्री पारित की जावे।

3. प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए वादीगण का दावा खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

4. जवाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की गई तथा प्रतिवादीगण के योग्य अधिवक्ता को वादीगण की साक्ष्य के प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया गया। परन्तु प्रतिवादीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता के नियत दिनांक 16/9/2019 को हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण की सुनवाई की गई।

5. वादीगण की ओर से सुनवाई के दौरान दिनांक 25/11/2019 को प्रकरण वाद में एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश-23 रूल-1 सहपठित धारा-151 सी.पी.सी. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी मुतनाजा में से हाल आराजी खसरा नम्बर 495/0.23, 503/0.42 व 528/0.33 कुल किता-3 रकबा 0.98 हे० वाके मौजा बिहारा पर वादीगण का कब्जा काश्त आपसी पारिवारिक बंटवारे के हिसाब से रहा है। अतः उक्त आराजीयात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आराजी मुतनाजा के शेष आराजी खसरा नम्बरान 494, 531, 1245, 1246, 542 व 543 से दावा विड्रा किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

6. प्रार्थना-पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण को सुना गया एवं पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड व शहादत का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर मनन किया।

कार्यालय उप खण्ड ... (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड शहादत नकल राजस्व आमिलात आधार वर्ष की जमाबन्दी के खाता संख्या-39 में वर्णित आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 494, 495, 503, 528, 531, 1245, 1246 कुल किता-7 रकबा 2.32 हे० व खाता संख्या-40 में वर्णित आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 542, 543 कुल किता-2 रकबा 0.28 हे० वाके मौजा निठारा के सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी शु० केशा बेवा काना कौम जाट सा० देह खातेदार के नाम अंकित होना प्रमाणित है। उक्त आमिलिखित खातेदार काश्तकार से उक्त सम्पूर्ण आराजीयात उचित प्रतिफल अदा कर वादीगण के द्वारा जरिये रजि. शुदा विक्रय-पत्र दिनांक 28/11/1989 से क्रय कर कब्जा व हक हकूक खातेदारी प्राप्त कर लिये। इस प्रकार वादीगण उक्त आराजी मुतनाजा के बहैसियत क्रेता खातेदार काश्तकार काबिज हो गये। तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) द्वारा प्रार्थी महादेव पुत्र नाथू जाट के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय दिनांक 3/1/1990 को पारित कर क्रेतागण वादीगण के द्वारा दिनांक 28/11/1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रय की गई आराजी मुतनाजा का क्रेतागण के नाम राजस्व अभिलेख में अमल नहीं होने तथा उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी विक्रेता केशा बेवा कानाराम के नाम गलत दर्ज होना मानते हुए प्रतिवादी संख्या 1 महादेव के नाम खातेदारी स्वीकार कर हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के हक में पंजीबद्ध विक्रय-पत्र दिनांक 28/11/1989 को बिना शून्य घोषित किये व सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये ही दर्ज करवाई गई, जो हाल नकल जमाबन्दी प्रदर्श-2 सम्वत 2051 से 2054 की प्रतिलिपियों से प्रमाणित है। अब स्वतः ही प्रश्न यह रह जाता है कि उक्त पंजीकृत बेचान होने के बावजूद क्या विक्रेता के वारिसों के नाम खातेदारी स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का बिना क्रेताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उनकी पीठ पीछे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकता है? हमारा दृष्टिकोण प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में यह मानना है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार उक्त रजिस्टर्ड बेचान पत्र के सम्पादित होने के तुरन्त बाद विवादित भूमि का नामान्तरकरण क्रेतागण के नाम खोला जाना चाहिए था। चूंकि पंजीकृत बेचान हो जाने पश्चात नामान्तरकरण तस्दीक कराने की जिम्मेदारी स्वयं तहसीलदार की थी। इस प्रकार सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा धारा-48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उत्तराधिकार, रजि. शुदा दस्तावेजात अथवा न्यायालय के आदेश पर ही प्रतिलिपि परिवर्तित हो सकता है — सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/1/1990 बिना अधिकारिता के है एवं वादीगण के हक हकूक खातेदारी अधिकारों के प्रति शून्य व बेअसर है। लेकिन अब चूंकि

...(4)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

स्वयं वादीगण ने आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर 495/0.23, 503/0.42, 528/0.33 कुल किता-3 रकबा 0.98 हैक्टर की कब्जा मौके पर अपने कब्जा होना स्वीकार करते हुए उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित करवाना शेष आराजीयात का हक विक्रय करने का अनुतोष चाहा है। कब्जे मौके जानने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा के आदेशानुसार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 9/1/2001 को मौके पर हमारा कब्जा कार्यवाही किया। यद्यपि उभयपक्षों द्वारा आराजी मुतनाजा के सम्पूर्ण रकबे पर अपना अपना कब्जा होना बताकर उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 9/1/2001 पर आपत्ति प्रस्तुत कर इसे निरस्त करवाने की प्रार्थना करने पर आदेशिका दिनांक 27/3/2001 के द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट निरस्त की जाने के कारण रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन जब स्वयं प्रार्थीगण/वादीगण के आराजी मुतनाजा के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा काबिज होने की बजाय मौका की रिपोर्ट में वर्णित आराजी मुतनाजा कुल किता-3 रकबा के खसरा नम्बर 495/0.23, 503/0.42 व 528/0.33 कुल किता-3 रकबा 0.98 हैक्टर की कब्जा मौके पर अपने कब्जा काबिज होना स्वीकार करते हुए शेष आराजीयात के सम्बन्ध में कब्जा हासिल किये जाने की डिक्री चाही है जिसे स्वीकार करने में हमें कोई बाधा या अड़चन होना नहीं पाते है।

8. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आर्डर-23 रूल-1 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाकर आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 495/0.23, 503/0.42 व 528/0.33 कुल किता-3 रकबा 0.98 हैक्टर वाके मौजा निवारा की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या-1 का नाम हटाकर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा प्रतिवादी संख्या-1 को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण की खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें तथा शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त व उपयोग व उपभोग करते रहे। शेष आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 494, 531, 1245, 1246, 542 व 543 स्थित ग्राम निवारा के बाबत वादीगण को दावा विड्रा करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के लिए लेखक तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02-01-2020 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या —56/2011

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र ओमकार
2. मामराज पुत्र अर्जुनलाल

} समस्त जाति जाट नि० ग्राम माबक तह० विराटनगर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. महादेव पुत्र नाथू नि. निठारा तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. सब रजिस्ट्रार शाहपुरा तह० शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–23 नियम–1 सहपठित धारा 151 सीपीसी.)

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–23 नियम–1 सहपठित धारा 151 सीपीसी. का स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाकर आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 495/0.23, [illegible]3/0.42 व 526/0.33 कुल किता 3 रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम निठारा की खातेदारी में से प्रतिवादी [illegible] 1 का नाम कलमजान करके उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है [illegible] प्रतिवादी सं. 1 को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया जाता है [illegible] वह वादीगण की खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहकर शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे। शेष आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 494, 531, 1245, 1246, 542 व 543 स्थित ग्राम निठारा के बाबत वादीगण के वाद विड्रा किये जाने के आदेश किये जाते हैं। तदानुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने [illegible] लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज तारीख 03·01·2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
(नरेन्द्र कुमार [illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

[illegible] के खर्चे

	रकम	प्रतिवादी	रकम
[illegible]		[illegible]	
योग		योग	